

## बिहार सरकार

### राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना

#### अधिघोषणा

प०स०-१४/डी०एल०ए० भोजपुर (रा०उ०प०)-४८/२०१३-३१२/पटना-१५, दिनांक-३१./१२/२०१३

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्रम—सकडी, थाना नं० १३४ अंचल—काईलवर, जिला भोजपुर में सार्वजनिक परियोजनार्थ सकडी से नासरीगंज तक बिहार राज्य पथ निर्माण के लिये सार्वजनिक व्यय से जमीन लेने की आवश्यकता है।

अतः यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ ग्रम—सकडी, थाना नं० १३४ अंचल—काईलवर, जिला भोजपुर में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश कृषि योग्य १.८९५ एकड़ के बराबर होता है जिसका खेसरा निम्नवत है:—

अंश खेसरा — २३४८, २३४९, २३५०, २३५१, २३५२, २३५३, २३५५, २६९०, २६९१, २६९२, २६९३, २६९४, २६९५, २७०१, ३६१२, ३६१३, ३६१४, ३६१५, ३६१७, ३६१९,

#### चौहदी:—

उत्तर — सकडी नासरीगंज पथ

दक्षिण — सकडी नासरीगंज पथ एवं सिवाना मौजा—भदवर, थाना नं० १४७


पूरब— अंश खेसरा २६९०, २७०२, २७०१, २६९५, २६९४, २६९३, २६९२, ३६००, ३६१२, ३६१७, ३६१५, ३६१६, ३६१८

पश्चिम —अंश खेसरा — ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५५, २६९०, २६९१, २६९३, २६९२, ३६००, ३६१२, ३६१३, ३६१४, ३६१८

भूमि या भूमि के किसी भाग से नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य किसी खनीजो एवं खानों की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों एवं खनीजो के वे भाग जिन्हें जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना या उपयोग में लाना हो तो ले लिए जायेगें। यह अधिघोषणा अधिनियम १-१८९४ की धारा ६ और अधिनियम १८८५ की धारा ३ के खण्ड (I) के उपबंधो के अधिनियम जैसा कि भू—अर्जन बिहार संशोधन अधिनियम (II) सन् १९६० के द्वारा संशोधित हुए है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो। भूमि का नक्शा जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-  
सरकार के अवर सचिव।

  
सचिव  
भोजपुर, आरा।

ज्ञापांक ३१२/राष्ट्रिय दिनांक - ३१-१२-१३

प्रतिलिपि:- निदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार पटना को घोषणा प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ समाचार पत्रों आज एवं हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित सूचना का प्रेस कतरन कृपया समाहर्ता, भोजपुर एवं इस विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए।

प्रतिलिपि:- प्रेमारी उप समाहर्ता, जिला-गजट शाखा-समाहरणलय भोजपुर को दो प्रतियों में जिला गजट को अगला असाधरण अंक प्रकाशनार्थ एवं उसकी दस प्रतियों में इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय भोजपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, भोजपुर, आरा / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ प्रेषित।

३०/१२  
उच्च प्रसार संचिव  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना